

940

19/9/07

संख्या 1204 / 38-7-07-109एनआरआईजीए / 2007

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

18.9.2007

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश।
2. जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
(अ) आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई,
जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर,
प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव (प्रथम चरण)
(ब) झाँसी, कानपुर देहात, मऊ, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती, संतकबीर नगर,
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, बलिया, बदायूं, एटा
एवं फर्रुखाबाद (द्वितीय चरण)

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2007

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उ0प्र0 के अन्तर्गत तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा एम0बी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यकारी निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उ0प्र0 के अन्तर्गत कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए परियोजना का प्राक्कलन तैयार करना तथा उसके सापेक्ष तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना में गति लाने की दृष्टि से स्वीकृतियों एवं मापी हेतु संलग्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

पं० उ० प्र० शासन (वि० वि०)

भवदीय,

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।

संख्या / 38-7-07-109एनआरआईजीए / 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्तगण (सम्बन्धित मण्डल) को इस अनुरोध के साथ कि मण्डलीय समीक्षा बैठकों में उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहें।

2. संयुक्त विकास आयुक्त, (सम्बन्धित मण्डल) को इस निर्देश के साथ जनपदवार अनुपालन आख्या दिनांक 30-8-2007 तक भिजवाते हुए अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

गार्ड फत्रावली।

आज्ञा से

(रूपचन्द्र राजपूत)
संयुक्त सचिव।

FC (HREGA) 3.

18-9-07
18-9-07
18-9-07

18/9/07

पत्र सं. - 1204/38-7-69

क0 सं0	स्वीकृति स्तर	रु0 2 लाख तक	रु0 2 लाख से रु 5 लाख तक	रु0 5 लाख से रु 10 लाख तक	रु0 10 लाख से ऊपर के कार्य		
1	2	3	4	5	6		
1	प्रशासनिक स्वीकृति	ग्राम समा की खुली बैठक	ग्राम समा की खुली बैठक	ग्राम समा क्षेत्र स्तर के क्षेत्र पंचायत की विधिवत बैठक	ग्राम समा क्षेत्र स्तर के कार्य ग्राम समा की खुली बैठक	8 वि0ख0 क्षेत्र स्तर के कार्य क्षेत्र पंचायत की विधिवत बैठक	9 जिला क्षेत्र के स्तर के कार्य जिला पंचायत की विधिवत बैठक
2	प्रतिकूलन तैयार करना						
3	तकनीकी स्वीकृति	ग्राम समा की खुली बैठक		तकनीकी सहायक (त0स0)			सहायक अभियन्ता / जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य समकक्ष/उच्चतर तकनीकी अधिकारी
4	वित्तीय स्वीकृति	ख0वि0 नामित स0वि0अ0		अवर अभियन्ता - वि0ख0 में तैनात कोई भी			तदेव
5	कार्य आदेश	ग0प0अ0 / ग0वि0अ0		कार्यक्रम अधिकारी			जिला कार्यक्रम समन्वयक (मु0वि0अधि0)
6	अनुश्रवण	तकनीकी सहायक		कार्यक्रम अधिकारी			जिला विकास अधिकारी
7	एम0बी0 तैयार करना।	तकनीकी सहायक		अवर अभियन्ता			अ0अ0 एवं जिला विकास अधिकारी
8	एम0बी0 की स्वीकृति	ग्राम प्रधान एवं ग0प0अ0 / ग0वि0अ0 संयुक्त रूप से		तदेव			सहायक अभियन्ता
9	कार्यदायी संस्था	ग्राम समा/ राजकीय विभाग		अवर अभियन्ता - वि0ख में तैनात कोई भी की सस्तुति पर कार्यक्रम अधिकारी व सह0वि0अ0 (प) संयुक्त रूप से			जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिलाधिकारी संयुक्त रूप से
				ग्राम समा / क्षेत्र पंचायत/ राजकीय विभाग			जिला पंचायत / राजकीय विभाग

1 यदि ग्राम समा क्षेत्र के अन्दर ही कार्य होना है।

2 यदि एक ग्राम समा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में कार्य होना है।

ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी - ग0प0अ0 / ग0वि0अ0 सहायक विकास अधिकारी, पंचायत - सह0वि0अ0(प)

अवर अभियन्ता - अ.अ / सहायक अभियन्ता - स0अ0

विकास खण्ड - वि0ख0/खण्ड विकास अधिकारी - ख0वि0अ0

कार्यक्रम अधिकारी - का0अ0,

क्षेत्र पंचायत - क्षे0पं0

23/8/69